FROM NC . III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुक० ....
.... बनाम..... .... किस्म मुकदमा .....
.... नं...................5/2025.......... सं०......................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/2/25	प्रार्थी के ओर से श्री हरीश शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया । बाद जांच दर्ज राजस्टर किया गया । विपक्षी को प्रार्थना पत्र की नकल सूचना पत्र के साथ भेजी जावे पत्रावली देखने तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक 20/2/25 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी डूंगला	
20/2/25	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षी अभिधारी तहसीलदार डूंगला से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । इन्तजार रिपोर्ट में दिनांक 16.4.2025 को पेश हो । 20/02/25	
16/4/25	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित । प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मजरा हरनाथपुरा आलोद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्राथमिक विद्यालय हरनाथपुरा आलोद के कब्जे की आराजी नम्बर 223/2 रकबा ... विद्यालय कब्जा जो वर्तमान जमाबन्दी में आराजी नम्बर 223/3 रकबा 0.8102 है दर्ज है उसमें संशोधन किया जाकर आराजी नम्बर 223/2 दर्ज किये	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.05.21 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner

को स्वीकृति आदेश चाहा गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति जरिये समस्त विपक्षी तहसीलदार डूंगला को प्रेषित की गई। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक।राजस्व।2025।258 दिनांक 16।5।25 को प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित की गई तहसीलदार डूंगला ने रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया गया कि राजस्व रेकार्ड के अनुसार के अनुसार ग्राम आलोद की आराजी नम्बर 223/3 रकबा 0.8602 है। भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरनाथपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। तथा राजस्व नक्शे में भी तरमीम है। परन्तु मौके पर विद्यालय के नाम दर्ज आराजी में 12 लोगों के पक्के मकान जो इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वयं द्वारा निर्मित किया जाकर निवास किया जा रहा है साथ ही इस आराजी में सामुदायिक शौचालय व कुछ भाग पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र बना हुआ है तथा इसी आराजी में से होकर आलोद से मल्हकदास खेड़ी व आलोद से हरनाथपुरा डामरीकृत सड़क गुजर रही है। राजकीय प्रा॰ विद्यालय हरनाथपुरा द्वारा मौके अनुसार जिस जमीन को अब तक अपने नाम दर्ज समझा जा रहा है जिसका आराजी नम्बर 223/4 रकबा 0.8640 है भूमि होकर रा॰उ॰मा॰ वि॰ भवन एवं खेल मैदान आलोद के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जबकि इस आराजी पर कब्जा नहीं होकर आराजी नम्बर 223/2 रकबा 0.3243 है आबादी बिलानाम सरकार पर कब्जा होकर खेल मैदान का उपयोग किया जा रहा है। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट का एवं पत्रावली का अवलोकन कर परीक्षण किया गया परीक्षण उपरान्त पाया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल॰ आर॰ एक्ट के प्रावधानानुसार नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। [illegible] सुनाया [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.05.21 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner